

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज डॉसी।

पत्रांक-5580 / छात्रवृत्ति / 2025 / एस0सी0-3

दिनांक: 22-11-2025

आवश्यक सूचना

इस कार्यालय के पत्र संख्या 3057 / छात्रवृत्ति / 2025 / एस0सी0-3 दिनांक 30-07-2025 एवं पत्र संख्या 5168 / छात्रवृत्ति / 2025 / एस0सी0-3 दिनांक 06-11-2025 के द्वारा कालेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को पुनः सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए इच्छुक पात्र छात्र-छात्राएँ आवेदन आनलाइन उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की वेबसाइट <http://scholarship.up.nic.in> पर करेंगे आवेदन करने के उपरान्त प्रिन्ट निकालकर सभी संलग्नकों सहित दो प्रतियों में प्रधानाचार्य कार्यालय के छात्रानुभाग में निम्नलिखित तालिकानुसार जमा करेंगे जिससे छात्रवृत्ति फार्म कार्यालय द्वारा समय से सामाजिककल्याण विभाग को अग्रसारित किये जा सकें।

क्रम संख्या	बैच	दि० 11-11-2025 से दि० 17-11-2025 रोल न०	दि० 18-11-2025 से दि० 25-11-2025 रोल न०	दि० 26-11-2025 से दि० 02-12-2025 रोल न०
1	2021-22	01 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 150
2	2022-23	01 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 150
3	2023-24	01 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 150
4	2024-25	01 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 150
5	2025-26	01 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 150

छात्रवृत्ति का प्रेषण आधार कार्ड वेबसाइट होगा। सभी छात्र-छात्राएँ अपने सम्बन्धित बैंक जा कर अपना बैंक खाता NPCI Mappdr पर Map आवश्यक करा ले अन्यथा कि स्थिति में छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति योजना के लाभन्वित होने से वंचित हो सकते हैं।

फार्म भरते समय छात्र सभी प्रविष्टियाँ ध्यान से भरें, अन्यथा की स्थिति में, फार्म में प्रवृत्ति गलत होने पर या संलग्नक छूट जाने की दशा में यदि कोई छात्र लाभ से वंचित रह जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं छात्र-छात्राएँ का होगा। दशमोत्तर छात्रवृत्ति की जानकारी छात्रवृत्ति वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

छात्रों हेतु कुछ आवश्यक निर्देश-

- 1- नवीन छात्र छात्राएँ FRESH आवेदन करेंगे व अन्य छात्र RENEWAL ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- 2- संस्था में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्होंने इस संस्था में पूर्व में दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया परन्तु वर्तमान सत्र 2025-26 में पहली बार आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे छात्र-छात्राएँ FRESH आवेदन करेंगे।
- 3- नवीन छात्र-छात्राएँ अपने अभिभावक/संरक्षक का ही आयप्रमाण पत्र बनवाये, न कि स्वयं का। आयप्रमाण पत्र उ०प्र० राजस्व की वेबसाइट पर प्रदर्शित होना चाहिए।
- 4- RENEWAL ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राएँ अपने अभिभावक/संरक्षक का आयप्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो कि छात्रवृत्ति हेतु पूर्व में लगाया था, लगा सकते हैं वशर्ते आय प्रमाण पत्र उ०प्र० राजस्व की वेबसाइट पर प्रदर्शित होना चाहिए।
- 5- सभी छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र-छात्राएँ अपने बैंक खाते में D.B.T. ACTIVATE व NPCI seeding अवश्य करा लें। बैंक खाते में अधिकतम लिमिट लगी रहती है। बैंक खाता छात्रवृत्ति आने के समय तक पूर्णतया संचालित रहना चाहिए।
- 6- छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के शिक्षण सत्र के दौरान रिजल्ट 50% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- 7- छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के शिक्षण सत्र के दौरान उपस्थिति 75% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(2)

- 8- नवीन व ऐसे छात्र-छात्राएँ जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वे छात्र-छात्राएँ Result not yet declared विकल्प का प्रयोग करके फार्म भरेंगे।
- 9- सभी छात्र-छात्राएँ पूर्ण सावधानी के साथ अपना फार्म भरेंगे। फार्म में गलती होने की दशा में छात्रवृत्ति न आने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रधानाचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या: 5580 / दशमोत्तर छात्रवृत्ति / 2025-26 / एस0सी0-3 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- डीन एकेडमिक, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी। 2- अधीक्षक छात्रावास सी0वी0 रमन, धनवन्तरि एवं तथा बालिका छात्रावास को, छात्र/छात्राओं के मध्य परिचालनार्थ।
- 3- निर्देशक पैरामेडिकल कालेज झाँसी को इस आशय से कि छात्रावासों में चस्पा कर छात्रों को अवगत करा दे।
- 4- विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी/रेडियोलॉजी विभाग को इस आशय से कि छात्रों के छात्रवृत्ति फार्म जाँच करके संस्तुति कर प्रेषित करें। 4- नोटिस बोर्ड।
- ✓ 5- प्रभारी अधिकारी वेबसाइट को इस आशय से कि उपरोक्त पत्र को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।